



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-22062026-273699
CG-UP-E-22062026-273699

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3111]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948

No. 3111]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

गोरखपुर, 18 जून, 2026

का.आ. 3234(अ).—केन्द्रीय सरकार रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड 7। द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तिथी से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य एवं स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिले में लखनऊ मण्डल के गोंडा-गोंडा कचेहरी सेक्शन में गोण्डा कचेहरी-कठोला स्टेशनों के मध्य कि.मी. 661/4-5 पर समपार संख्या-264, गोंडा कचेहरी-गोंडा के मध्य कि.मी. 658/9-10 पर समपार संख्या-261, मैजापुर-करनैल गंज के मध्य कि.मी. 679/2-3 पर समपार संख्या-276, मैजापुर-करनैल गंज के मध्य कि.मी. 684/6-7 पर समपार संख्या-280, करनैल गंज यार्ड में कि.मी. 686/4-5 पर समपार संख्या-282, झिलाही-मोतीगंज के मध्य कि.मी. 641/8-9 पर समपार संख्या- 251, मैजापुर-कठोला के मध्य कि.मी. 671/2-3 पर समपार संख्या-269 एवं कटरा यार्ड में कि.मी. 28/5-6 पर समपार संख्या-22 के बदले उपरिगामी सेतु के निर्माण (विशेष रेल परियोजना) के संदर्भ

में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) के उल्लिखित अधिकारी को **विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी** को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क.सं.	सक्षम अधिकारी	जिला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोण्डा	गोण्डा	उत्तरप्रदेश

[मिसिल सं0.W/RSP/LJN/ROB/LA/GD]

अभय कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Eastern Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Gorakhpur, the 18th June, 2026

S.O. 3234(E).—In exercise of the powers conferred by Clause 7A of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008, the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the table below as **“Competent Authority for Land Acquisition (CALA)”** to perform the function as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of Special Railway Project of “Construction of ROB in lieu of (i) L.C. No. 264 at Km 661/4-5 between Gonda Kachehri-Kathola, (ii) L.C. No. 261 at Km 658/9-10 between Gonda Kachehri –Gonda, (iii) L.C. No. 276 at Km 679/2-3 between Maijapur –Colonelganj, (iv) L.C. No. 280 at Km 684/6-7 between Maijapur –Colonelganj, (v) L.C. No. 282 at Km 686/4-5 Colonelganj Yard, (vi) L.C. No. 251 at Km 641/8-9 between Jhilahi –Motiganj Yard in Section Basti-Gonda, (vii) L.C. No. 269 at Km 671/2-3 between Maijapur –Kathola and (viii) L.C. No. 22 at Km 28/5-6 Katara Yard in Lucknow Division of N.E.Railway” in the states mentioned in column (4) and districts mentioned in column (3) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

SCHEDULE

S.No.	Competent Authority	District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Special Land Acquisition Officer, Gonda	Gonda	Uttar Pradesh

[F. No. W/RSP/LJN/ROB/LA/GD]

ABHAY KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer/Construction